(अपील संख्या एस10 / ए / 1318 / 2024)

श्री योगी एमपी0 सिंह बनाम ज0सू0अधि0 कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

समक्षः श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आदेश

पुकार करायी गयी। अपीलकर्ता अनुपस्थित हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री शशांक मिश्रा उपस्थित हुए। प्रतिवादी पक्ष ने अपीलकर्ता को सूचनाएं देने के लिए आयोग से समय दिये जाने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ वह अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन के क्रम में नियमानुसार सम्पूर्ण सूचनाएं अगले **दो सप्ताह** के अंदर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करें तथा प्रकरण की **अगली सुनवाई तिथि पर सूचनाओं की प्रति सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें,** अन्यथा की स्थिति में क्यों न आपके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) व 20(2) के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दि0 09.05.2025 को पेश हो।

04.03.2025

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक,	सेवा में,
सम्पत्ति अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या – 60/SO(P)/Th/2025 दिनांक – 8/5/2025	श्री योगी एम0पी0 सिंह पता–मोहल्ला सुरखापुरम, जबलपुर रोड, संगमहोल पोस्ट आफिस, पिन–231001 नत्थी –................................

–:विषय:–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के सापेक्ष मा0 राज्य सूचना आयोग में योजित अपील संख्या–10/ए/1318/2024 दिनांक 28.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–एस0एस0–1914, 1915, 1916, 1917 एवं 1918 के अनियमित आवंटन/निबंधन से सम्बन्धित है।

उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण में समिति गठित करते हुए निमयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। समिति के निर्देशानुसार स्थलीय आख्या प्राप्त करते हुए सम्बन्धित भूखण्डों के आवंटियों एवं शिकायतकर्ता को अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कई बार पत्र प्रेषित किये गये तथा दूरभाष पर भी वार्ता की गयी है। दोनों पक्षों द्वारा वांछित मूल अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, मात्र आवेदन पत्र प्रस्तुत है, जिस कारण प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु गठित समिति के निर्णय के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों को गठित समिति के समक्ष मूल अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। गठित समिति के समक्ष दोनों पक्षों के द्वारा वांछित मूल अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपलब्ध होने के पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है।

कृपया उपरोक्त आख्या से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

8/5/25

(हेमचन्द्र तिवारी)
सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि:–

1. जनसूचना अधिकारी को सूचनार्थ।
2. श्री शशांक मिश्रा, अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हेमचन्द्र तिवारी)
सम्पत्ति अधिकारी

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक,	सेवा में,
विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या –266/S.O.D/O.S.D/2025 दिनांक – 22.7.2025	श्री योगी एम0पी0 सिंह पता–मोहल्ला सुरेकापुरम कालोनी, जबलपुर रोड, संगमहोल पोस्ट आफिस, मिर्जापुर सिटी, मिर्जापुर पिन–231001 नत्थी – ....

–:विषयः–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के सापेक्ष मा0 राज्य सूचना आयोग में योजित अपील संख्या–एस05/ए/0518/2024 पंजीकृत संख्या–ए–20240701671 दिनांक 22.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–एस0एस0–1914, 1915, 1916, 1917 एवं 1918 के अनियमित आवंटन/निबंधन से सम्बन्धित है।

उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण में समिति गठित करते हुए निमयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। समिति के निर्देशानुसार स्थलीय आख्या प्राप्त करते हुए सम्बन्धित भूखण्डों के आवंटियों एवं शिकायतकर्ता को अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कई बार पत्र प्रेषित किये गये तथा दूरभाष पर भी वार्ता की गयी है। दोनों पक्षों द्वारा वांछित मूल अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, मात्र आवेदन पत्र प्रस्तुत है, जिस कारण प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु गठित समिति के निर्णय के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों को गठित समिति के समक्ष मूल अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। गठित समिति के समक्ष दोनों पक्षों के द्वारा वांछित मूल अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपलब्ध होने के पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है।

कृपया उपरोक्त आख्या से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

22/7/25

(रवि नन्दन सिंह)
विशेषकार्याधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी को सूचनार्थ।
2. श्री शशांक मिश्रा, अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(रवि नन्दन सिंह)
विशेषकार्याधिकारी